

Madhya Pradesh Nurses Registration Council Bhopal

*(Nurses are the heart and soul of the Hospital and
framework of our health care delivery system)*



कौंसिल की स्थापना

1. 1947 के पहले मध्यप्रदेश मध्य भारत के नाम था। उस समय बरार कमेटी के तहत नर्सिंग कौंसिल एक्ट था। बरार कमेटी द्वारा नर्सिंग कौंसिल की समस्त समीक्षा नागपुर से होती थी।
2. 1956 के संविधान बनने के बाद पहली पंचवर्षीये योजना बनी। तथा मध्य प्रदेश बनने के बाद बरार कमेटी कौंसिल का पार्ट (एम.टी.एच. कम्पाउन्ट इन्दौर) में स्थांतरित हुआ। इन्दौर में 1956 से लेकर 1972 तक महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल था।
3. उस समय रजिस्ट्रार श्री मदनमोहन थे। तथा वे दोनो मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई) तथा महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल दोनो इकाई का कार्य संयुक्त रूप से देखते थे।
4. 1973 से पृथक रूप से नर्सिंग कौंसिल, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के सेंट्रल लायब्रेरी में स्थापित की गयी।
5. 1978 में महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल 78 हर्षवर्धन नगर माता मंदिर के पास भोपाल में स्थांतरित की गयी।
6. 2 सितंबर 2011 को स्वयं के क्रय किये गये भवन में महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल गोमंतिका परिसर तृतीय तल 12 दफ्तर रोड, युनिक कॉलेज के पीछे, जवाहर चौक भोपाल में स्थांतरित की गयी।
7. वर्तमान में कौंसिल भवन का ऐरिया 4500 स्केयर फिट है।
 1. 1500 Sqft में ऑफिस है
 2. 1500 Sqft में गोपनीय परीक्षा का कार्य संपादित होता है।
 3. 1500 Sqft में स्टोर व अन्य ऑफिस की इकाई लगती है।
8. 18/5/2012 को महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को नाम मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल किया गया।
9. इस संस्था का कार्य अध्यक्ष (डी.एम.ई.) संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के अधीन होता है। तथा संचालित किया जाता है।
10. नर्सिंग कौंसिल, इंडिया नर्सिंग कौंसिल दिल्ली के नियामों का पालन करते हुये शासन के निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करती है।

कौंसिल में संपादित होने वाले कार्य :

1. नर्सिंग (व्यवसायिक) पाठ्यक्रम का रजिस्ट्रेशन करना।
 - ए.एन.एम.
 - जी.एन.एम.
 - बी.एस.सी.
2. अतिरिक्त योग्यता प्रमाण-पत्र देना।
 - पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
 - एम.एस.सी. नर्सिंग
3. 16.04.2012 से एम.पी.ऑनलाईन द्वारा लगभग 20,000 (बीस हजार) नर्सिंग छात्र/छात्राओं के पंजीयन हुये।
4. ए.एन.एम./जी.एन.एम./एल.एच.वी./पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स (10 माह) की परीक्षा संपन्न करवाना तथा भारतीय उपचर्या परिषद के नियमानुसार योग्य नर्सिंग शिक्षकों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रिजल्ट निकालना, मार्कलिस्ट बनाना तथा पूरक परीक्षा कराना है।
5. भारत से बाहर अन्य देश में जाने के लिये फॉर्म अग्रेषित करना।
6. आई.एन.सी. से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण करना जिससे संस्थाओं में उच्च स्तर बना रहे।
7. प्रति पांच वर्ष में कार्यरत नर्सों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करना।
8. न्यायलयीन प्रकरण नर्सिंग से संबंधित देखना तथा कौंसिल से संबंधित विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर देना।
- 9.. एन.ओ.सी./माईग्रेशन का कार्य करना।
10. शासकीय तथा निजी प्रशिक्षण के नर्सिंग छात्राओं को एज्युकेशनल विजिट के तहत कौंसिल की संपूर्ण जानकारी निम्न उद्देश्यों हेतु देना।
 - कौंसिल के संरचना की जानकारी देना।
 - कौंसिल में उपयोग में आने वाले फॉर्मस की जानकारी देना।
 - मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल के लाभ बताना।

Various Nursing Education Programme In India

s. No.	Programme	Entry Requirement	Duration Of Training	Registered As
1.	Female Health Worker	10+2 Years of Schooling	2 Yrs (18 Month + 6 month Internship)	RN.RM (Diploma)
2.	General Nursing and Midwifery	10+2 (Science or any discipline)	3 ^{1/2} Yrs.	RN.RM (Diploma)
3.	B.Sc. (Basic) in Nursing	10+2 (Bio. Science)	4 Yrs.	RN.RM (Registration)
4.	B.Sc. (Post Basic) in Nursing	10+2 & G.N.M. 10+ & GNM With 2 Yrs Experience	2 Yrs. (Full Time) 3 Yrs (Distance)	Additional Qualification (Certificate)
5.	M.Sc. Nursing	B.Sc. Nursing 2 Year Experience	2 Yrs.	Additional Qualification (Certificate)
6.	M. Phil Nursing	M.Sc. Nursing	1 Yrs. (Full) 2 Yrs. (Part Time)	Additional Qualification (Certificate)
7.	Ph.D. Nursing	M.Sc. Nursing M.Phil Nursing	3 to 5 Yrs	Additional Qualification (Certificate)

1972 To 2012 Trained Nurses

<u>No. Of Registration</u>	-	A.N.M	-	34266	-	(1989 to 2012)
<u>No. Of Registration</u>	-	G.N.M	-	12213	-	(1989 to 2012)
<u>No. Of Registration</u>	-	B.Sc. Nsg.	-	18613	-	(1972 to 2012)
		<u>Grand Total</u>	-	<u>65092</u>		

Additional Qualification Recording


<u>No. Of Additional Qualification</u>	-	M.Sc. Nsg.	-	140	-	(2005-2012)
<u>No. Of Additional Qualification</u>	-	Post Basic B.Sc. Nsg.	-	240	-	(2010 -2012)
		<u>Grand Total</u>	-	<u>380</u>		

Nurses Working in other countries Total - 654 (Last 5 Years)

District Chart of School/College Of Nursing Current Position 2011-12 in M.P.

<u>Total of A.N.M. Schools</u> - 135	Govt=32 Pvt.= 93	Total Seats Of A.N.M.	Govt.= 1600 Pvt. = <u>2980</u> Total 4580
<u>Total of G.N.M. Schools</u> - 195	Govt=11 Pvt.= 184	Total Seats Of G.N.M.	Govt. = 477 Pvt. = <u>7205</u> Total 7682
<u>Total of B.Sc.Ng. College</u> - 100	Govt=3 Pvt.= 97	Total Seats Of B.Sc.Ng.	Govt.= 170 Pvt. = <u>4795</u> Total 4695
<u>Total of M.Sc. Nsg. College</u> - 24	Govt=1 Pvt.= 23	Total Seats Of M.Sc.Ng.	Govt.= 10 Pvt. = <u>356</u> Total 366
<u>Total of Post Basic B.Sc. Ng.</u> - 30	Govt=1 Pvt.= 29	Total Seats Of B.Sc.Ng.	Govt. = 25 Pvt. = <u>895</u> Total 920
<u>Grand Total</u>			18513

	Government	Private	Total
ANM	32	93	125
GNM	11	176	187
B.Sc.	3	103	106
P.B. B.Sc.	1	30	31
M.Sc.	1	26	27



मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल के आय के स्रोत :

1. बैंक ड्राफ्ट (डी.डी.) से आने वाली आय (रिनिवल, एन.ओ.सी., माईग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा फीस)
2. निजी स्कूल/कॉलेजों से प्रतिवर्ष संबद्धता के रूप में प्राप्त होने वाली आय।

मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल से होने वाले लाभ :

1. यदि किसी नर्सिंग अभ्यार्थी को राज्य या देश के बाहर कोई अच्छा अवसर मिलता है तो कौंसिल द्वारा आर एन. आर एम. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी के उपरान्त कहीं भी कार्य करने हेतु अधिकृत है।
2. पंजीकरण के बाद वे किसी भी शासकीय तथा निजी चिकित्सालयों में कार्य करने हेतु अधिकृत हैं।
3. मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा किया गया रजिस्ट्रेशन समूचे विश्व में कार्य करने हेतु वैधता प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल की आगामी योजनाये :

1. समय-सीमा में कौंसिल का कार्य गुणवत्ता के साथ संपादित करना।
2. आई.एन.सी. दिल्ली द्वारा निर्देशित सेमीनार समय-समय पर कौंसिल में करवाना।
3. आई.एन.सी. दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल को प्रदाय अनुदान बजट द्वारा कौंसिल कार्यालय का नवीनीकरण कार्य संचालक चिकित्सा शिक्षा के निर्देशन के अधीन मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा करवाया जा रहा है। तथा कौंसिल का पिछले 60 वर्षों का डाटा आई.एन.सी. दिल्ली की वेबसाइट से लिंकेज करने हेतु एक डाटा कंसलटेंट (एम.एस.सी.) नर्सिंग तथा दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति कर उक्त कार्य करना है।
4. कर्तव्य के प्रति समर्पित होना, योग्यतानुसार कार्य का उचित विभाजन करना, अनुशासन तथा उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करना, समस्याओं का समाधान तथा व्यवस्थाओं में कसावट लाना है।